

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण



कार्यवृत्त

द्वादश बोर्ड बैठक दिनांक **1.6.2004**
(Minutes XIIth Board Meeting)

स्थान :
कैम्प कार्यालय, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की द्वादश बोर्ड बैठक दिनांक
1.6.2004 का कार्यवृत्त :

दिनांक 1.6.04 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कैम्प कार्यालय मेरठ में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण बोर्ड की बारहवीं बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|
| 1. | श्री राजीव कुमार | मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ | अध्यक्ष |
| 2. | श्री संतोष कुमार यादव | जिलाधिकारी गाजियाबाद | सदस्य |
| 3. | श्री अजय दीप सिंह | उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री एस.के. ज़माँ | चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर एन.सी.आर. सैल गाजियाबाद (प्रतिनिधि आयुक्त एन.सी.आर.) | सदस्य |
| 5. | श्री वाई.पी. शर्मा | अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. जल निगम) | सदस्य |
| 6. | श्री एस.के. सिंह | अपर निदेशक कोषागार (प्रतिनिधि वित्त सचिव, उ.प्र. शासन) | सदस्य |
| 7. | श्री रामकिशोर | सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता बुलन्दशहर, गाजियाबाद वृत्त लो.नि.वि.) | सदस्य |



2

बैठक दिनांक 1.6.2004 का कार्यवृत्त व लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :

| मद सं. | विषय | निर्णय |
|--------|---|---|
| 1. | प्राधिकरण की एकादश बोर्ड बैठक दिनांक 3.12.03 की कार्यवाही की पुष्टि। | गत बैठक दिनांक 3.12.03 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। |
| 2. | प्राधिकरण की एकादश बोर्ड बैठक दिनांक 3.12.03 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या। | गत बैठक दिनांक 3.12.03 की अनुपालन आख्या अवलोकित व अनुमोदित की गई तथा निम्न निर्देश भी दिये गये। पिलखुवा नगर के अन्दर आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाईयों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में उपनियमों को एन.सी.आर के परामर्श व सहयोग से बनाने के कार्य में प्रगति लाई जाये तथा इसे प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये। टी.सी.आई.डी.एस. पिलखुवा के प्रोजेक्ट को फॉलो कर शीघ्र स्वीकृत कराया जाये। |
| 3. | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में योजनावार प्रगति | |
| | क) प्रीत विहार आवासीय योजना | प्रगति आख्या की समीक्षा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि 16 जून 2004 से एक बार और पंजीकरण योजना एक माह के लिए प्रारम्भ की जाये। |
| | ख) ट्रांसपोर्ट नगर योजना | ट्रांसपोर्टर्स के साथ की गयी बैठक का संज्ञान लिया गया। उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि शीघ्र अधिग्रहीत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |



25

ग) आनन्द विहार योजना

अगले कुछ वर्षों हेतु भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एन.सी.आर. के परामर्श से व्यावहारिक दृष्टिकोण से योजना का पुनरीक्षण कर आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

घ) फल सब्जी मण्डी योजना

कृषकों से समझौते की कार्यवाही को और अधिक गति देते हुए प्रकरण का निराकरण शीघ्र कराया जाये तथा भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये।

ङ) बस अड्डा योजना

आख्या का अवलोकन किया गया पूर्व में प्रस्तावित स्थल का अधिग्रहण शीघ्र किया जाये तथा दिनांक 6 जून 2004 तक प्रस्ताव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पहुंचा दिया जाये तथा उसको फॉलोअप किया जाये। जहां तक बस अड्डे को री-लोकेशन करने का प्रस्ताव है इस संबंध में एन.सी.आर. की गाजियाबाद इकाई के विशेषज्ञों तथा उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर उपयुक्त स्थल का चयन एक सप्ताह में कर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जाये।

इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी दिये गये कि एन.सी.आर. सेल के नियोजन अधिकारियों के साथ हापुड़-दिल्ली मार्ग को हापुड़-मेरठ मार्ग से जोड़ने वाले बाईपास मार्ग के संबंध में भी परीक्षण कराकर कार्यवाही शीघ्र प्रस्तावित की जाये।

4.

मैसर्स सेन्चुरी लेमिनेटिंग कं. लि.
को 4397.88 वर्ग मीटर भूमि
आवंटित किये जाने के संबंध में

परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव अंगीकृत
कराकर कार्यवाही की जा चुकी है।
अवलोकित किया गया।



2

5. मैसर्स सेन्चुरी लेमिनेटिंग कं. लि. हापुड़ को प्रीत विहार योजना में आवंटित 4397.88 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देश दिये गये कि शासन को भेजकर फॉलोअप किया जाये।
6. वित्तीय वर्ष 2004-05 के बजट की स्वीकृति के संबंध में बजट 2004-2005 परिचालन के माध्यम से अंगीकृत हो चुका है। जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं उनको भी समायोजित करते हुए संशोधित बजट आगामी बैठक में भी प्रस्तुत किया जाये।
7. प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में प्राधिकरण के बैलेन्स शीट आदि शीघ्र पूर्ण करा लिये जायें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से समय निश्चित करते हुए समयबद्ध अनुपालन किया जाये। वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया। पृष्ठ 33 पर अंकित विवरण में प्रदर्शित है कि 17.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त है। जिससे देयता काफी अधिक हो जायेगी। जबकि वर्तमान में ब्याज दरों में काफी कमी आई है। अतः राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र बोर्ड से प्राप्त अधिक उच्च दर की ऋण राशि को अतिशीघ्र वापस किया जाये। इस संबंध में एन.सी.आर. सैल के चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर द्वारा अवगत कराया गया कि एन.सी.आर. बोर्ड में भी 6.5 प्रतिशत पर ऋण प्रदान करने व्यवस्था बनने जा रही है। अतः निर्देश दिये गये कि एन.सी.आर. बोर्ड अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक आदि ऋणदायी संस्थाओं से कम ब्याज की दर के विकल्पों पर भी विचार कर लिया जाये।

dh

21

8. गोपी कोल्ड स्टोरेज के शमन के सम्बन्ध में बोर्ड ने परिस्थितियों का संज्ञान लिया तथा निर्देश दिये कि संशोधित मानचित्र प्राप्त कर समयबद्ध निस्तारण किया जाये तथा शमन के अन्य लम्बित प्रकरणों का भी समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जाये।
9. दिनांक 31.3.04 के पश्चात निस्तारित किये जाने वाले प्रस्तावित एवं शमन मानचित्रों पर लिये जा रहे सुदृढीकरण शुल्क/विकास शुल्क/ अम्बार शुल्क/निरीक्षण शुल्क की दरों के लिये जाने के सम्बन्ध में। गत वर्ष के बेस पर कॉस्ट इंडेक्स के अनुसार ही वृद्धि की जाये।
10. श्री नरेश चन्द शर्मा रिटायर्ड रजिस्ट्रार (कानूनगो) को रुपये 2000/- प्रति माह पर अस्थाई रूप में रखने के सम्बन्ध में। यदि बहुत आवश्यक व अपरिहार्य हो तो कार्य का प्रकार व मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए कमिटमेंट कराते हुए निश्चित समय के लिए रखने पर विचार किया जाये।
11. श्री ओ.पी. गुप्ता अवर अभियन्ता व उनकी पत्नी के इलाज पर आये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में। शासनादेश द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप परीक्षणोपरान्त भुगतान किया जाये।
12. शक्ति कम्प्यूटर सिस्टम के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह को कम्प्यूटर प्रोग्रामर का पद एवं भुगतान रु. 5000/- प्रतिमाह की दर से दिये जाने के सम्बन्ध में। निर्देश दिये गये कि सॉफ्टवेयर अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त किया जाये।



21

13. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की
अनुमति से :-

अतिरिक्त मद संख्या - 1 :

अनुमोदित।

प्रीत विहार योजना की भूमि
अधिग्रहण के संबंध में समझौते
के आधार पर भूमि प्राप्त करने
के संबंध में।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

अनुमोदित



(अजय दीप सिंह)

उपाध्यक्ष

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़



(राजीव कुमार)

मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/अध्यक्ष

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़